फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

नमन

बनाम

अप्रार्थीगण

रामलाल बुजरंग

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 104/2017

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
7.12.17	यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री ओमप्रकाश ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 08.01.18 को पेश हो।	
8-01-18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रकरण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26.2.18 को प्रस्तुत करें। पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 26-2-18 पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रकरण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 21.5.18 को प्रस्तुत करें।	
25.06.18	पत्रावली न्यायालय आप के द्वारा शिविर में अदालत सेवा के तहत तरनाऊ में पेश हुई वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण में राजीनामा हो गया है प्रार्थी प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल हो	Not press

Scanned by CamScanner